न्यायालय सिविल जज जू0डि0, खलीलाबाद स्थान– बस्ती
मूलवाद सं0 737/1997
रामफेर भारती बनाम प्रकाश पाल आदि

02.05.2019

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थनापत्र 132क2 पर सुना–

प्रार्थनापत्र 132क2 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि मुकदमे में प्रतिवादी सं0 3 शान्ति देवी, प्रतिवादी सं0 5 सत्यदेव, प्रतिवादी सं0 6 बैजनाथ, प्रतिवादी सं0 9 बाढ़ू एवं प्रतिवादी सं0 12 मेवालाल की मृत्यु हो गयी है। मुकदमे में ये सभी औपचारिक पक्षकार थे। इनके विरूद्ध वाद में कोई उपचार नहीं मांगा गया था और न ही उपरोक्त प्रतिवादीगण ने कोई वादोत्तर दाखिल किया है। अतः वादी को प्रतिवादी सं0 3, 5, 6, 9 एवं 12 की वरासत कार्यवाही से उन्मुक्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

प्रार्थनापत्र पर आपत्ति करने हेतु प्रतिवादी उपस्थित नहीं है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रार्थनापत्र वादी द्वारा प्रतिवादी सं0 3 शान्ति देवी, प्रतिवादी सं0 5 सत्यदेव, प्रतिवादी सं0 6 बैजनाथ, प्रतिवादी सं0 9 बाढ़ू एवं प्रतिवादी सं0 12 मेवालाल की मृत्यु के पश्चात वादी को वरासत कार्यवाही से उन्मुक्त किए जाने के आशय से दिया गया है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है। उपरोक्त प्रतिवादीगण द्वारा कोई वादोत्तर दाखिल नहीं किया गया है और न ही उपरोक्त मुकदमे में कन्टेस्ट कर रहे हैं। अतः उपरोक्त समग्र विवेचना के दृष्टिगत प्रार्थनापत्र 132क2 स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 132क2 स्वीकार किया जाता है। वादी आवश्यक संशोधन अन्दर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते एकपक्षीय बहस दिनांक 31.07.2019 को पेश हो।

.

सिविल जज जू0डि0,
खलीलाबाद स्थान–बस्ती।